

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

ख्या. 23 तारीख दायर 06/08/2020 दिनांक निर्णय 03/09/2020

उनवान

पटवारी हक्का नजेश बनाम नावी

आज पत्रावली मु. नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207. 7 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल श्रीमती नावी पुत्र/पत्नी सोहन लाल

जाति मीना निवासी इन्दपुरा

को आराजी खसरा नं. 85/498 रकबा 0.87 किस्म चारागाह वाके ग्राम.

इन्दपुरा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 1.85 की.

50 गुणा में मु. 93/ रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 14 प्र. च. प. 93/-
राशि कायम किये गये। 8. कि. 1850/-

चवक
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)